भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1969

03.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीयों को विदेश भेजने का अवैध कार्य

1969. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में धोखाधड़ी करके भारतीय नागरिकों को विदेश भेजने का धंधा फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे नियंत्रित और रोकने के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ग) विदेश मंत्रालय को उन भारतीय उत्प्रवासियों से और / अथवा उनकी ओर से समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन्हें अवैध एजेंटों/फर्जी एजेंसियों द्वारा धोखाधड़ी से विदेशों में रोजगार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद उनके साथ धोखा किया जाता है, रोजगार देने से इंकार किया जाता है, बदतर हालात में उनसे काम कराया जाता है इत्यादि। विदेश मंत्रालय ने उन उत्प्रवासियों की शिकायतों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मदद और ई-माईग्रेट पोर्टलों सहित शिकायत निवारण का एक मजबूत तंत्र बना रखा है जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है।

ऐसे अवैध एजेंटों के ब्यौरे प्राप्त होने पर शिकायतें संबंधित राज्य / संघशासित क्षेत्र की सरकार को अग्रेषित करते हुए उनसे अवैध एजेंटों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया जाता है

क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है। संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अभियोजन संस्वीकृति जारी की जाती है ताकि वे अभियुक्त एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ कर सके। जहां भी अपेक्षित हो, ऐसी शिकायतों को मिशनों/केंद्रों को भी भेजा जाता है ताकि वे स्थानीय प्रायोजकों तथा/अथवा सरकार के साथ तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें और व्यथित व्यक्तियों को हर संभव सहायता दे सकें।

सरकार ने मानक प्रचालन कार्य विधि भी जारी की है जिनका अनुपालन शिकायतें प्राप्त होने पर राज्यों को करना होता है। पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उत्प्रवासियों को प्रोत्साहित करने और अवैध/फर्जी एजेंटों के माध्यम से अपना काम न कराने के लिए समय-समय पर दृश्य एवं प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाया जाता है।

सुरक्षित और कानूनी उत्प्रवासन को बढ़ावा देने और कदाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा सबसे अधिक संख्या में श्रमिक भेजने वाले राज्यों के उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं जिनके दौरान राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ-साथ अपनी ओर से पहल करते हुए गैर कानूनी तरीके से विदेशों में रोजगार दिलाने की गतिविधियों में शामिल अवैध एजेंटों की बढ़ती संख्या को रोकने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। सुरक्षित और कानूनी प्रव्रजन के पहलू को राज्यों द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न संपर्क कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाता है।

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, 2017 से मई 2019 की अवधि के दौरान अपंजीकृत एजेंटों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों और राज्य सरकारों को भेजी गई शिकायतों की संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	राज्य सरकारों को कार्रवाई के लिए भेजे गए मामले	राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अभियोजन संस्वीकृति	विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई अभियोजन संस्वीकृति
2017	446	446	30	30
2018	350	350	15	15
2019#	214	214	22	22

(31 मई 2019 तक)

***